राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या एवं अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थीगण का नाम	प्रस्तुतिकरण की दिनांक	अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी विभाग की ओर से उपस्थित अभिभाषक / अधिवक्ता का नाम
1.	3457 / 2021 जगदीश प्रसाद गुप्ता	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान वित्त भवन, विधान सभा के पास, जयपुर। 3. कोषाधिकारी, कार्यालय कोष, धौलपुर, (राज.)।	07.09.2021	श्री एस. एन. शर्मा, अभिभाषक एवं डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता
2.	3458 / 2021 जगदीश प्रसाद गुप्ता			
3.	3459 / 2021 प्रमोद कुमार पाराशर			
4.	3460 / 2021 प्रमोद कुमार पाराशर			

आदेश की दिनांक : 09.05.2023

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

उपर्युक्त तालिका में वर्णित समस्त अपीलों की तथ्यात्मक स्थिति समान प्रकार की है और इनमें निहित विधि का प्रश्न भी समान है। अतः इन समस्त अपीलों को इस एकल आदेश द्वारा निस्तारित किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 3457 / 2021 जगदीश प्रसाद गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य के तथ्य विवेचित किये जा रहे हैं।

प्रस्तुत अपील में अपील अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी रिवाईज्ड पी.पी.ओ. 5533727(R)–प्री–2016 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि स्पेशल वेतन रूपये 300 / – को जोड़ते हुए सातवे वेतन आयोग के अनुसार पेंशन का पुनर्निधारण किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का यह अभिकथन है कि अपीलार्थी माध्यमिक शिक्षा में प्रधानाचार्य के पद पर था और दिनांक 28.02.2001 को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बसेडी, जिला धौलपुर से सेवानिवृत्त हुआ। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अंतिम वेतन प्रमाण पत्र के आधार पर अपीलार्थी की पी.पी.ओ. नं. 150378(R) जारी किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रूपये 6450 / – प्रतिमाह पेंशन निर्धारित की

गई, जबकि नियमानुसार 50 प्रतिशत पेंशन निर्धारित की जाती है। अपीलार्थी को विशेष वेतन रूपये 300/– प्रतिमाह आदेश दिनांक 08.03.2001 के द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) धौलपुर के द्वारा प्रदान किया गया। अपीलार्थी की पेंशन सातवां वेतन आयोग के आधार पुनर्निधारित की गई, जिसमें विशेष वेतन रूपये 300/– प्रतिमाह नहीं जोड़ा गया, जबकि पूर्व में भी यह पेंशन का हिस्सा रहा है। अपीलार्थी के अनुरोध करने पर भी प्रत्यर्थी विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी ने उक्त मामले के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन दिया, परंतु उसका कोई निराकरण नहीं किया गया। इस प्रकार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा गलत तरीके से फिक्सेशन किया गया। उनका कथन है कि वित्त विभाग के पत्र दिनांक 05.06.2018 के द्वारा यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्पेशल वेतन दिनांक 01.01.2016 से पूर्व जारी रिवाईज्ड आर.सी.एस.(आर.पी.) नियम, 2017 के अंतर्गत आगे भी जारी होगा। इस प्रकार वित्त विभाग द्वारा सेवानिवृत्त कार्मिक के लिए आगे जारी रखने के लिए इनकार नहीं किया गया। उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी के कैडर में ही श्री पूरण चंद शर्मा जो अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, धौलपुर में थे उन्हें भी विशेष वेतन पेंशन में निर्धारित किया गया। परंतु अपीलार्थी को उक्त लाभ से प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वंचित रखा जा रहा है, जो सेवा नियमों के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी रिवाईज्ड पी.पी.ओ. 5533727(R)–प्री–2016 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जावें कि स्पेशल वेतन रूपये 300/– को जोड़ते हुए सातवे वेतन आयोग के अनुसार पेंशन का पुनर्निधारण किए जाने के आदेश फरमाए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी ने जिस स्पेशल पे लाभ प्राप्त करने की मांग की है। वह वित्त विभाग के क्लरीफिक्सेशन दिनांक 05.06.2018 के बिंदु संख्या 2 के अनुसार स्पेशल पे का लाभ केवल सरकारी सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय, आरपीएससी, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राज्य निर्वाचन आयोग के कर्मचारी पर ही लागू होगी। उक्त छः विभागों के अतिरिक्त किसी भी कार्मिक को स्पेशल वेतन देय नहीं है। इस प्रकार आदेश की पालना में स्पेशल पे हटाते हुए फिक्सेशन किया गया है, जो नियमानुकूल है। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थे और दिनांक 28.02.2001 को प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हुए। जहां तक अपीलार्थीगण द्वारा विशेष वेतन रूपये 300/– उनकी सातवां वेतन आयोग के आधार पर पेंशन में नहीं जोड़ने का प्रश्न है, हमारे विनम्र मत में राज्य सरकार के वित्त विभाग के क्लरीफिक्सेशन संख्या 15(1)एफ.डी./नियम/2017 दिनांक 05.06.2018 के बिंदु संख्या 2 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि स्पेशल पे का लाभ सरकारी सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय, आरपीएससी, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राज्य निर्वाचन आयोग के कर्मचारी पर ही लागू होगी। उक्त छः विभागों के अतिरिक्त किसी भी कार्मिक को स्पेशल वेतन देय नहीं है। अपीलार्थीगण शिक्षा विभाग में शिक्षक/प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हैं, जो उक्त छः विभागों में नहीं आता है। इस प्रकार अपीलार्थीगण उक्त स्पेशल वेतन प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः अपीलार्थीगण द्वारा अपील में की गई मांग निराधार प्रकट होती है। इस प्रकार अपीलार्थीगण की अपील खारिज किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद् द्वारा खारिज फरमाई जाती हैं।

मूल आदेश अपील संख्या 3457/2021 जगदीश प्रसाद गुप्ता बनाम राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य की पत्रावली में रखा जावे एवं इस आदेश के शीर्षक की तालिका में वर्णित अन्य समस्त पत्रावलियों में इस आदेश की छाया प्रति संलग्न की जावे।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य